तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3-3-2021	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का आदेश सुनाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बूंदी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज.)

225 / प्रा0पत्र / 2014
दायरा दिनांक 04.07.2014

पीठासीन अधिकारी
प्रमोद कुमार(RAS)

लटूरलाल आयु 56 वर्ष आ0 स्व0 श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खरायता की झोपड़िया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0) ...प्रार्थी..

बनाम

1 बाबूलाल आ0 स्व0 श्री भैरू जाति बैरवा निवासी ग्राम खरायता की झोपड़िया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
2 बदाम आयु 50 वर्ष पुत्री श्री भैरू जाति बैरवा निवासी शुगर मिल्स के पास के0 पाटन
3 वरिष्ठ प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय लाखेरी जिला बून्दी (राज0)
4 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

...अप्रार्थीगण...

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

निर्णय दिनांक

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा न0 410 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा जिसके सेटलमेन्ट में नये नम्बर 671 और उसके नये नम्बर 730 रकबा 1.01 हैक्टेयर कायम किए। गए उक्त आराजी भैरू के खाते की थी और भैरू ने दिनांक 12.07.1968 को 920 रूपये प्रतिफल की एवज में प्रार्थी के पिता मांगीलाल को बेचान कर कब्जा सभंला दिया गया था तथा विकय पत्र का पंजीयन करवाया गया था। प्रार्थी व उसके पिता कब्जा अहसियत मा... 46 वर्षो से वर्तमान में भी कब्जा काश्त है। भैरू की पत्नी लालीबाई ... आराजी को रहन मुक्त करवाने बाबत तहसीलदार के0 पाटन के समक्ष दि0 22.08.1976 को प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:38 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वह काबिज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद से प्रार्थी निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा

Scanned by CamScanner

पेश किया जिसमे मांगीलाल गुर्जर के पास 200 रूपये में रहन होना बताया। मांगीलाल के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेश करने पर दिनांक 13.05.1977 को लालीबाई का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। वादविषयक आराजी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के खाते में दर्ज है, इस कारण वह राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर रहन बैचान करने पर आमादा है अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वाद विषयक आराजी को उनके पिता द्वारा प्रार्थी के पिता मांगीलाल के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन किये जाने व प्रतिफल राशि प्राप्त करने तथा कब्जा प्रार्थी के पिता को सुपूर्द किये जाने के तथ्यों को अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट इंकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कथन विशेष आपति में किया कि प्रार्थी के पिता की जाति बैरवा होकर अनुसुचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। प्रार्थी के पिता की मांगीलाल की जाति गुर्जर है, जो अनुसूचित जाति की सूची में नही आती है। धारा 42 बी आर0टी0एक्ट0 के तहत अनुसूचित जाति की कृषि भूमि का अंतरण गैर अनुसूचित जाति के पक्ष में नही किया जा सकता। दिनांक 12.07.1968 का विक्रय पत्र प्रारम्भ से शून्य एवं प्रभावहीन है, जिससे प्रार्थी को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही होता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के तहत ऐसा दस्तावेज विधि विरूद्ध और कानूनन अवैध दस्तावेज का कोई विधिक औचित्य नही है। प्रार्थी का दावा आर्डर 7 रूल 11 के अनुसार खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तहत काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि वाद विषयक आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खाते की है। प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों ने अप्रार्थी के विरूद्व गैर कानूनी गिरोह बना रखा है। इस कारण अप्रार्थीगण ने अवैध विक्रय पत्र के आधार आज से करीब 5 माह पूर्व ... को बेदखल कर जबरन कब्जा कर लिया। प्रार्थी अवैध कब्जे में रहकर ... प्राप्त कर रहा है, जिसको प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्रार्थी को न होकर अप्रार्थीगण को है। अवैध कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:58:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned by CamScanner

को कानूनन किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्रदान नही की जा सकती, इस कारण वाद विषयक आराजी पर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया जावे या प्रार्थी पर केश सिक्युरिटी कायम कि जावे। अन्त में प्रार्थना की गई अप्रार्थीगण 1 व 2 की और से प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

प्रार्थी द्वारा काउन्टर प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर काबिज है। प्रार्थी का कब्जा कानून की निगाह में वैध कब्जा है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा कब्जा लेने कि मियाद समाप्त हो चुकी है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का काउन्टर प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावें।

हमारे द्वारा उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि दिनांक 12.07.1968 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी काबिज काश्त है तथा प्रार्थी का वैध कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का वाद विषयक आराजी पर दिनांक 12.07.1968 के पश्चात उनके पिता भैरू व भैरू की मृत्यु के पश्चात कोई कब्जा काश्त नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत दावा मियाद बाहर हो चुका है और प्रार्थी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर काबिज काश्त होने से न तो रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है और न तो केश सिक्युरिटी लगाई जा सकती है। प्रा0 पत्र के समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टान्त A.I.R. 1972 S.C. पेज न0 2299, A.I.R. 1994 S.C.पेज न0 227, R.L.W. 1992 पेज न0 592, A.I.R. 2002 राज पेज नं 92 पेश किये और अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता का विरोध करते हुए तर्क दिया कि धारा 42 बी का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 01.05.1964 को प्रतिस्थापित कर संशोधित किया गया था। उक्त प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति के खातेदार की भूमि किसी गैर अनुसूचित जाति के पक्ष में वैधानिक रूप से नही किया जा सकता है। आज्ञापक प्रावधान है, इस

Signature Not Verified
Digitally signed by: Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 12.07.1968 उक्त प्रावधानों के विपरीत होने से भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के तहत उक्त विक्रय पत्र प्रारम्भ से शून्य एंव प्रभावहीन है। शून्य दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का कब्जा जायज नही माना जा सकता। और शून्य दस्तावेज के आधार पर कब्जा रखने वाले के हक में प्रथम दृष्टया मामला नही माना जा सकता कब्जा मुखालपाना के आधार पर भी प्रार्थी को अप्रार्थीगण की कृषि भूमि बाबत कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही होता है। क्योकि जो विक्रय पत्र दिनांक 12.07.1968 धारा 42 बी आर टी एक्ट के विरूद्व है, ऐसे दस्तावेज पर की गई समस्त कार्यवाही एवं परिणाम शून्य है। प्रार्थी का वाद विषयक आराजी पर अवैध कब्जा है इस कारण वाद विषयक आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जावें या केश सिक्युरिटी कायम की जावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टान्त R.R.D 2005 पेज न. 38, R.R.D 2002 पेज न. 246, DNJ 2016(3) राज0 पेज न. 1179, DNJ 2014 (1) राज0 पेज न. 152, R.R.D 1992 पेज न. 565, R.R.D 1992 पेज न.424, DNJ 2009(1) राज0 पेज न. 157, R.R.D 2015 पेज न. 345 पेश किए। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमारे द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अनुसूचित जाति के खाते की कृषि भूमि का अन्तरण गैर अनुसूचित जाति के पक्ष में नही हो सकता ऐसा अन्तरण अवैध है । यह प्रावधान दिनांक 01.05.1964 से प्रभावशील है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह मुख्य आधार है कि दिनांक 12.07.1968 को विवादित आराजी भैरू द्वारा मांगीलाल के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दी गई थी। उक्त प्रावधान धारा 42 बी के परिप्रेक्ष्य में यह विक्रय पत्र 01.05.1964 के बाद निष्पादित व पंजीयन विवादित नही है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जो संविदा लोकनीति व विधि विरूद्व हो ऐसी संविदा प्रारम्भ से ही शून्य मानी जाती है, जिसका कानून में कोई अस्तित्व नही होता है। यदि प्रार्थी का कब्जा अवैध विक्रय पत्र दिनांक 12.07.1968 के आधार पर है तो उनका कब्जा पूर्ण रूप से अवैधानिक है, जिसको किसी भी विधि के तहत सुरक्षा प्रदान नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कालोरी (कूणी)

Scanned by CamScanner

की जा सकती है। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना नही पाया जाता है तथा क्षति का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नही होना पाया जाता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा वाद विषयक आराजी पर रिसीवर नियुक्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि 3 माह पूर्व प्रार्थी द्वारा कब्जा कर लिया जबकि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार द्वारा 13.05.1977 के अनुसार भी अप्रार्थीगण का कब्जा होना नही पाया जाता है, जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने के 3 माह पूर्व प्रार्थी द्वारा कब्जा कर लिया गया हो यह तथ्य असत्य होना प्रतीत होता है। साथ ही अप्रार्थीगण के पिता व पति ने उक्त वादग्रस्त भूमि के विक्रय प्रतिफल 920 रूपये प्राप्त किये थे। आया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को वाद विषयक आराजी से प्रार्थी को बेदखल कर प्रार्थी से कब्जा प्राप्त करने का वैधानिक है या नही यह तथ्य मूल वाद में तय होगें। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का केश प्रथम दृष्टया प्रमाणित नही होना पाया जाता है और न ही क्षति का सुविधा संतुलन उनके पक्ष में है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट खारिज किया जाता है व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से काउन्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner